

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 474
प्रति.

दिनांक : 23-6-17

प्राचार्य,

मनोविकास कॉलेज ऑफ स्पेशल एज्यूकेशन
राफ्टर 09, जवाहर नगर, उज्जैन।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता-निरंतरता आवेदन क्रमांक 136, दिनांक 03.06.2017

(उपरोक्त) संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन राक्षय / नवीन विष्णु शेट संख्या वृद्धि का ज्ञान / सम्बद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति रो प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.06.2017 पर प्रतुत किया गया जिसमें विषयान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता कॉलेज ऑफ स्पेशल एज्यूकेशन, उज्जैन में सत्र 2017-18 से वी.एड. - स्पेशल एज्यूकेशन (मानसिक मंदता) (मानसिक मंदता) पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित विष्णु शेट को प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017-18 से वी.एड. - स्पेशल एज्यूकेशन (मानसिक मंदता) पाठ्यक्रम की सशर्त अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित किया जाता है कि वी.एड. - स्पेशल एज्यूकेशन (मानसिक मंदता) पूर्ण करने के शपथ पत्र के आधार पर प्रदान ही जाये।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में विश्वविद्यालय द्वारा प्रतुत किये गये अनुशंसानुसार सम्बद्धता पदान की जाती है:-

क्र.	पाठ्यक्रम	ट संख्या
01.	वी.एड. - स्पेशल एज्यूकेशन, (मानसिक मंदता)	10

शर्त :- 01. पाठ्यक्रमानुसार नवीन पुस्तकों वा क्रय किए जाएं।
02. R.C.I. के Norms अनुसार उपकरणों को क्रय किए जायें।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति तीन माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता पर मुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 475
प्रतिलिपि:-

दिनांक : 23-6-17

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, प्र.शासन, ग्राम
- क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन राज्य सरकारी।